

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया के प्रश्नागत आराजी का दिनांक 23.6.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीव डोल से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक र/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि एक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का भी सीमाज्ञान चाहता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की प्रश्नागत आराजी ख.नं. 261/2 रकबा 0.0800 है0, 262 रकबा 0.0700 है0 व ख0नं0 264 रकबा 0.0700कुल किता 3 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक तान दिनांक 23.6.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश हो ।

निर्णय आज दिनांक6/7/23..... को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मसमोहन मीत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

